न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13/2020 **दायर दिनांकः 05/11/2020**

उनवान

1. गिरिराज आयु 48 वर्ष रामनारायण
2. रामभरोसीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री रामनारायण जातियान धाकड निवासी खुरी तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

<u>एंव इन्द्राज दुरस्ती करवाने बाबत</u>

उपस्थिति :–

प्रार्थीः–विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

अप्रार्थीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 08/04/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम एंव माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 314 का कुल किता 781 का रकबा 1.93 है0 आराजी मे शामलाती दर्ज खाता चली आ रही है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण के पूर्वज भी कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थीगण की नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 ग्राम एंव माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज0) की खाता संख्या 314 की ख0नं0 781 का रकबा 1.93 है0 आराजी में अप्रार्थी द्वारा व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जमाबंदी बनाते समय लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी में प्रार्थी क्रम 1 गिरिराज के स्थान पर गिर्राज व प्रार्थीगण के पिता का नाम रामनारायण के स्थान पर नारायण दर्ज कर दिया गया है जो गलत है। इसलिए प्रार्थी कम 1 गिर्राज के स्थान पर गिरिराज व प्रार्थीगण के पिता का नाम नारायण के स्थान पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

रामनारायण नकल जमाबंदी में सही नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है क्योंकि प्रार्थीक्रम नं. 1 का नाम गिरिराज व प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामनारायण हैं इसलिए प्रार्थीक्रम 1 के सरकारी रिकार्ड में व अन्य नकल जमाबन्दी में, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधारकार्ड व पहचान पत्र में भी प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम गिरिराज ही दर्ज है एवं प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामनारायण ही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थी द्वारा किये गये गलत नाम को रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे दुरस्त नही करवाया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। इस कारण माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र बाबत् दुरस्ती पेश किया गया हैं। विवादग्रस्त आराजी ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0 मे स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने की वजह से वाद पत्र में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को अप्रार्थी क्रम 1 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर प्रार्थना पत्र हाजा पेश है, प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायलय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद0 न0 1 मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड नकल जमाबन्दी मे प्रार्थी क्रम 1 का सही नाम गिरिराज व प्रार्थीगण के पिता का सही नाम रामनारायण दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत pw1 व pw2 के शपथ पत्र पेश किये, तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम गिरीराज पुत्र राम नारायण है, जबकि आराजी ग्राम खुरी की खाता संख्या 314 रकबा 1.93 है0 शामलाती खाते की आराजी में गिर्राज पुत्र नारायण दर्ज है, जिसे रिकार्ड मुताबिक दुरूस्त किया

जाकर प्रार्थी का नाम गिर्राज के स्थान पर गिरिराज व प्रार्थी के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में प्रार्थी व उसके पिता का नाम गिरिराज पुत्र रामनारायण दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत खुरी का प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2021 अनुसार भी गिर्राज और गिरिराज पुत्र नारायण और रामनारायण नाम के एक ही व्यक्ति है। इन नामों का कोई अलग व्यक्ति नहीं है। सह खातेदार रामभरोषी pw2 द्वारा भी सही नाम गिरिराज पुत्र राम नारायण ही है।

उपरोक्त विवेचन व रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खुरी की खाता संख्या 314 किता 1 रकबा 1.93 है0, में खातेदार गिर्राज पुत्र नारायण के स्थान पर गिरिराज पुत्र रामनारायण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested